# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई जिला टोंक

**(जे.पी. बैरवा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी निवाई द्वारा अध्यासित)**

**अपील संख्याः–16/2018**

**निर्णय दिनांकः– 16.09.2019**

उनवान

सम्पतलाल उर्फ पप्पू पुत्र लादूराम जाति पालीवाल(ब्राह्मण) निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक राज.

–अपीलार्थी

बनाम

जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक

–रेस्पोडेन्ट

**अपील विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 1239 दिनांक** 08.04.1985 **ग्राम पंचायत नटवाडा**

उपस्थितः–श्री रामकल्याण पूनियां वकील अपीलार्थी

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि आराजी ख.नं. 1995, 1996, 1997, 2006 वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में स्थित है। प्रार्थी के पिता लादू पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राह्मण का फोती का नामान्तकरण सं. 1239 पटवासी हल्का द्वारा भरकर ग्राम पंचायत नटवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा लादू के वारिसानों में आशाराम, भागचन्द, चैनसुख, पप्पू का नाम लिखकर नामांतकरण भरा गया जिस समय उक्त नामांतकरण भरा गया उस समय अपीलान्ट की उम्र लगभग 8–9 वर्ष थी इस वजह से अपीलान्ट का नाम सम्पतलाल होने के बावजूद पटवारी हल्का द्वारा सम्पतलाल का सही नाम नहीं लिखकर केवल पप्पू लिख दिया जिसको उक्त नामांतकरण में गलत लिखा गया उक्त नामांतकरण भरते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सही जांच नहीं की गई और बिना जांच के ही अपीलांट भाईयों का तो नाम सही लिख दिया लेकिन अपीलान्ट का नाम सम्पतलाल होने के बावजूद भी पप्पू लिख दिया जो अपीलान्ट के हितों के विपरीत होने की वजह से उक्त नामांतकरण निरस्त किया जाकर पप्पू के स्थान पर सम्पतलाल का नाम लिखा जावे तथा जाति ब्राह्मण लिखी हुई है उससे पहले पालीवाल ब्राह्मण लिखा जावे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि नामांतकरण संख्या 1239 दिनांक 08.04.1995 ग्राम पंचायत नटवाडा को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व जमाबन्दी मे पप्पू के स्थान पर सम्पतलाल पालीवाल व कोम ब्राह्मण के स्थान पर पालीवाल ब्राह्मण अंकित करवाये जाने के आदेश फरमावें।

अपील दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई। रेस्पोडेन्ट बाद तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner

वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस सुनी गयी। वकील अपीलार्थी ने प्रस्तुत अपील का दोहरान करते हुये एकतरफा बहस में बताया कि आराजी ख.न. 1995, 1996, 1997, 2006 वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में स्थित है। प्रार्थी के पिता लादू पुत्र किशोरीलाल जाति ब्राह्मण का फोती का नामान्तकरण सं. 1239 पटवारी हल्का द्वारा भरकर ग्राम पंचायत नटवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पटवारी हल्का द्वारा लादू के वारिसानों में आशाराम, भागचन्द, चैनसुख, पप्पू का नाम लिखकर नामांतकरण भरा गया जिस समय उक्त नामांतकरण भरा गया उस समय अपीलान्ट की उम्र लगभग 8–9 वर्ष थी इस वजह से अपीलान्ट का नाम सम्पतलाल होने के बावजूद पटवारी हल्का द्वारा सम्पतलाल का सही नाम नहीं लिखकर केवल पप्पू लिख दिया जिसको उक्त नामांतकरण में गलत लिखा गया उक्त नामांतकरण भरते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके पर सही जांच नहीं की गई और बिना जांच के ही अपीलांट भाईयों का तो नाम सही लिख दिया लेकिन अपीलान्ट का नाम सम्पतलाल होने के बावजूद भी पप्पू लिख दिया जो अपीलान्ट के हितों के विपरीत होने की वजह से उक्त नामांतकरण निरस्त किया जाकर पप्पू के स्थान पर सम्पतलाल का नाम लिखा जावे तथा जाति ब्राह्मण लिखी हुई है उससे पहले पालीवाल ब्राह्मण लिखा जावे। अतः निवेदन है कि नामांतकरण संख्या 1239 दिनांक 08.04.1995 ग्राम पंचायत नटवाडा को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट का नाम राजस्व जमाबन्दी मे पप्पू के स्थान पर सम्पतलाल पालीवाल व कोम ब्राह्मण के स्थान पर पालीवाल ब्राह्मण अंकित करवाये जाने के आदेश फरमावें।

बहस का मनन व सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि नामान्तकरण सं. 1239 ग्राम पंचायत नटवाडा में पटवारी हल्का द्वारा लादू के वारिसानों में आशाराम, भागचन्द, चैनसुख, पप्पू का नाम लिखकर नामांतकरण भरा गया जबकि पप्पू का सही नाम दस्तावेजात अंकतालिका व प्रमाण–पत्र सरपंच ग्रा.पं. नटवाडा के आधार पर सम्पतलाल दर्ज है। उक्त नामांतकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट का सही नाम व जाति दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। नामांतकरण संख्या 1239 दिनांक 08.04.1995 ग्राम पंचायत नटवाडा तहसील निवाई को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार निवाई को रिमाण्ड किया जाता है कि आराजी ख.नं. 1995, 1996, 1997, 2006 वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में मृतक लादू पि.मु. किशोरीलाल के विधिक वारिसान व सही जाति के संबंध में जांच कर नियमानसुार नामांतकरण की कार्यवाही करें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.09.19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

16/9

जे.पी. बैरवा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)

Scanned by CamScanner